

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राउमावि/2017-18

दिनांक : 27-08-2018

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक शिक्षा-प्रथम/द्वितीय

चूरु/झुन्झुनू/उदयपुर

विषय: माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 99 की अनुपालना में 06 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक- प0 4(6) शिक्षा-1/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 03.08.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु सं. 99 के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश क्रमांक : प0 4(6) शिक्षा-1/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 03.08.2018 की पालना में संलग्न सूची के अनुसार 06 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2018-19 से प्रारंभ होगा।
 2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
 3. इन विद्यालयों में संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित जि0शि0अ0 (माध्यमिक) को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमोन्नत विद्यालय से संकाय व संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी.- secondarydd@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे ताकि तदनुसार संकाय व ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।
 4. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
 5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्त/ पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी।
 6. विद्यालयों के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, IFMS कोड आदि का मिलान/जांच करके ही आदेश जारी करें।
- संलग्न-उपरोक्तानुसार

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, चूरु/उदयपुर।
11. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-सी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण
12. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

www.rajteachers.com


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक प. 4 (6) शिक्षा-1/2016 पार्ट दिनांक 03.08.2018 की पालना में वर्ष 2018-2019 में रामावि से राउमावि में नवक्रमोन्नत 06 विद्यालयों की सूची

क्र.स	IFMS- कोड	जिला	विधानसभा क्षेत्र	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	विद्यालय का नाम
1	3931	CHURU	SARDAR SHAR (21)	SARDARSHAHAR	AASPALSAR BADA	रामावि आसपालसर
2	3934	CHURU	SARDAR SHAR (21)	SARDARSHAHAR	ROOPALISAR	रामावि रूपलीसर
3	29207	JHUNJHUNU	PILANI (025)	SURAJGARH	PILANI (NP)	रामावि पिलानी, वार्ड न. 2
4	4788	JHUNJHUNU	PILANI (025)	CHIRAWA	CHIRAWA CITY (NP)	रामावि अडूकिया, चिडावा
5	4870	JHUNJHUNU	PILANI (025)	SURAJGARH	BERI	रामावि बेरी
6	18511	UDAIPUR	VALLABHA NAGAR (155)	BHINDER	BADGAON (BHINDER)	रामावि बड़गांव

www.rajteachers.com


उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राउमावि/2017-18

दिनांक :- 27-08-2018

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक शिक्षा-प्रथम/द्वितीय

अलवर।

विषय: माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 99 की अनुपालना में राजकीय माध्यमिक विद्यालय माणकपुर जिला अलवर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक- प0 4(6) शिक्षा-1/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 26.07.2018 एवं दिनांक 14.08.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु सं. 99 के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश क्रमांक : प0 4(6) शिक्षा-1/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 26.07.2018 के द्वारा रामावि भागकपुर, कटूमर जिला - अलवर को राउमावि में क्रमोन्नत किया गया था तथा राज्य सरकार के संशोधित आदेश क्रमांक प0 4(6) शिक्षा-1/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 14.08.2018 के द्वारा पूर्व के आदेश दिनांक-26.07.2018 सूची क्रमांक 04 पर अंकित रामावि भागकपुर, कटूमर जिला - अलवर को राउमावि में की गई क्रमोन्नति के स्थान पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय माणकपुर ग्राम पंचायत आडोली ब्लॉक कटूमर विधानसभा क्षेत्र कटूमर जिला अलवर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। राज्य सरकार के उक्त आदेश दिनांक 14.08.2018 की पालना में राजकीय माध्यमिक विद्यालय माणकपुर ग्राम पंचायत आडोली ब्लॉक कटूमर विधानसभा क्षेत्र कटूमर जिला अलवर (IFMS CODE-30334) को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोनयन सत्र 2018-19 से प्रारंभ होगा।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारंभ की जा सकती है
3. इस विद्यालय में संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित जि0शि0अ0 (माध्यमिक) को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमोन्नत विद्यालय से संकाय व संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी.- secondarydd@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे ताकि तदनुसार संकाय व ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।
4. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/ पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी।
6. विद्यालय के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, IFMS कोड आदि का मिलान/जांच करके ही आदेश जारी करें।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जयपुर
11. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-सी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण
12. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

www.rajteachers.com

उप निदेशक (माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राउमावि/2017-18

दिनांक :- 24.08.18

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा-प्रथम
उदयपुर।

विषय: माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 99 की अनुपालना में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुरोहितो की मादड़ी, वार्ड नम्बर 31, जिला उदयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक- प0 4(6) शिक्षा-1/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 03.08.2018 एवं 24.08.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु सं. 99 के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश क्रमांक : प0 4(6) शिक्षा-1/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 03.08.2018 के सूची क्रमांक: 07 पर अंकितानुसार रामावि मादड़ी, वार्ड नम्बर 31, जिला उदयपुर को राउमावि में क्रमोन्नत किया गया था तथा राज्य सरकार के संशोधित आदेश क्रमांक प0 4(6) शिक्षा-1/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 24.08.2018 के द्वारा पूर्व के आदेश दिनांक-03.08.2018 सूची क्रमांक 07 पर अंकित रामावि मादड़ी, वार्ड नम्बर 31, जिला उदयपुर को राउमावि में की गई क्रमोन्नति के स्थान पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुरोहितो की मादड़ी, वार्ड नम्बर 31, जिला उदयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। राज्य सरकार के उक्त आदेश दिनांक 24.08.2018 की पालना में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुरोहितो की मादड़ी, वार्ड नम्बर 31, जिला उदयपुर (IFMS CODE-18844) को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोन्नत सत्र 2018-19 से प्रारंभ होगा।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. इस विद्यालय में संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित जि0शि0अ0 (माध्यमिक) को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमोन्नत विद्यालय से संकाय व संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी.- secondarydd@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे ताकि तदनुसार संकाय व ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।
4. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/ पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी।
6. विद्यालय के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, IFMS कोड आदि का मिलान/जांच करके ही आदेश जारी करें।

(नथमल डिलेल)

अधीनस्थ

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
11. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-सी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण
12. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

www.rajteachers.com

24/08/18
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर